सरव[illegible] [illegible] जिल[illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 04/2019
दायर दिनांक : 16/01/2019
निर्णय दिनांक : 02/01/2025

उनवान

1. श्रीमती भग्गूबाई पत्नी स्व. श्री उदयलाल उर्फ उदयराम गाडरी निवासी जोयडा तह. भूपालसागर
2. शम्भू पिता स्व. उदयलाल उर्फ उदयराम गाडरी निवासी जोयडा तह. भूपालसागर
3. वरदीचन्द पिता स्व. उदयलाल उर्फ उदयराम गाडरी निवासी जोयडा तह. भूपालसागर

वादी

बनाम

1. श्री हीरालाल पिता स्व. कन्नाजी (तथाकथित पिता स्व. रामाजी) गाडरी निवासी जोयडा
2. हेमराज पिता स्व. कन्नाजी (तथाकथित पिता स्व. रामाजी) गाडरी निवासी जोयडा
3. तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री रामलाल गुर्जर, अधिवक्ता वादी
2. श्री मांगीलाल बैरवा, अधिवक्ता प्रतिवादी

: निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, खातेदारी अधिकार की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंर्तगत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :

यह है कि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के हैं जिनका पारिवारिक सजरा भग्गा जी मृतक मूल पुरूष के तलोकजी मृत, नन्दाजी मृत, के भैरा ला.औ.फो., चतरभुज ला.औ., गोदा मृत, कीसा ला.ओ.फौत, गोदा के कन्नाजी मृत व भैराजी ला.औ.फौत, कन्ना जी मृत के उदयराम कृतक, हिरालाल प्र.सं. 1, हेमराज प्र.सं. 2, उदयराम मृतक के भग्गूबाई, वादी सं. 1, शम्भू वादी सं. 2, वरदीचन्द वादी सं. 3 तथा भग्गा जी मृतक मूल पुरूष के उदाजी मृत, गोकलजी मृत के भैरा ला.औ.फो., रोडा मृत के रामा मृत के दोली पत्नी रामा मृत ला.औ.फो., बरदा आ.औ.फो. हैं। उक्त सजरे अनुसार भग्गा जी मूल पुरूष हैं, जिनके दो संताने तलोकजी व उदाजी हुए। तलोकजी के वारिस पुत्र नन्दाजी हैं तथा नन्दाजी के वारिस पुत्र भैराजी, चतरभुजजी, गोदा जी तथा किसाजी है। भैराजी चतरभुज जी तथा किसाजी लाऔलाद फौत हुऐ, गोपाजी के वारिस कन्नाजी व भैरा के दो पुत्र हुए। इनमें से भैराजी लाऔलाद फौत हुए। कन्नाजी के वारिसान उनके पुत्र उदयराम मृतक के वारिसान वादीगण तथा हीरालाल व हेमराज प्रतिवादीगण हैं जो वर्तमान में जीवित हैं। इसी प्रकार से मूल पुरूष भग्गा जी के छोटे बेटे उदा जी के वारिस उनके पुत्र गोकलजी थे। गोकलजी के वारिस मेवाजी, रोडाजी व बरदाजी हुए। भैराजी के बरदाजी लाऔलाद फौत हो गए। रोडा जी के वारिस उनके पुत्र रामाजी थे। रामाजी से कोई संतान नहीं होने से उनकी मृत्यु [illegible] उनकी पत्नी दोली के नाम पर खोला गया। दोली बेवा रामा की भी मृत्यु आज से करीबन तीस [illegible] चुकी है। मौजा ग्राम जोयडा में सम्वत् 2030 से सम्वत् 2033 तक की जमाबंदी में निम्न [illegible] रामाजी की खातेदारी में दर्ज थी : आ.सं. 233/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, आ.सं. 233/2 रकबा 1 [illegible] आ.सं. 234 रकबा 17 बिस्वा, आ.सं. 452 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा, आ.सं. 456 रकबा [illegible] बीघा कुल [illegible] 16 बीघा 6 बिस्वा। इस प्रकार स्व. रामाजी की खातेदारी में कुल किता 5 रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड थी। उक्त कृषि आराजियात को वादपत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से वादग्रस्त कृषि आराजियात से सम्बोधित किया गया है। रामाजी की मृत्यु के पश्चात उक्त कॉलम सं. 2 में वर्णित कृषि आराजियात का इंतकाल संख्या 197 रामाजी के कोई संतान नहीं होने से उनकी एकमात्र जीवित वारिस उनकी पत्नी दोली के नाम पर खोला गया। उक्त वादग्रस्त कृषि आराजियात के नवीन आराजी नंबर निम्न प्रकार से बने हैं : वर्तमान आ.सं. 355 रकबा 0.97 है. गत आ.सं. 233/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा व 233/2 रकबा 1 बीघा, वर्तमान आ.सं. 356 रकबा 0.18 है., गत आ.सं. 234 रकबा 17 बिस्वा, वर्तमान आ.सं. 886 रबा 0.44 है गत आ.

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:21:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

सं. 456 रकबा 2 बीघा, वर्तमान आ.सं. 888 रकबा 0.53 है., गत आ.सं. 452 मी. रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा, वर्तमान आ.सं. 889 रकबा 1.15 है. गत आ.सं. 452 मी. रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा, वर्तमान आ.सं. 890 रकबा 0.33 है. गत आ.सं. 452 मी. रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा।

यह कि मुस्म्मात दोली बेवा रामाजी की मृत्यु लाऔलाद आज से करीबन 30 वर्ष पूर्व होने पर उक्त वादग्रस्त कृषि आराजियात का इंतकाल हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 (1) में वर्णित वारिसो के अभाव में धारा 15 (2) में वर्णित पति कके वारिसों में किया जाना चाहिए था। स्व. दोली के पति स्व. रामाजी के भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) व 8 (2) में वर्णित वारिस नहीं होने से धारा 8 (3) में वर्णित गोत्रज वारिस वादीगण संयुक्त रूप से तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में 1/3, 1/3 बराबर, बराबर का हक व हिस्सा होने से खातेदारी अधिकार न्यायगत होकर इंतकाल खुलना चाहिए था। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर उक्त वादग्रस्त कृषि आराजियात का इंतकाल संख्या 332 दिनांक 30.05.1989 गलत तरीके से रामाजी व दोली के कोई संतान नहीं होते हुऐ भी स्वयं को स्व. रामाजी की संतान होना दर्शा कर 1/2, 1/2 बराबर–बराबर हक व हिस्से से स्वयं की खातेदारी का खुलवा लिया जो कि पूर्णतया अवैधानिक है। जिससे वादग्रस्त कृषि आराजियात में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ संयुक्त रूप से प्रत्येक का 1/3, 1/3 हक व हिस्सा निहित होने से वादग्रस्त कृषि आराजियात में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हक व हिस्सा घोषित कराए जाने हेतु यद वाद घोषणा खातेदारी का न्यायालय आप में पेश है। वादग्रस्त कृषि आराजियात में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हक व हिस्सा निहित है किन्तु वादग्रस्त कृषि आराजियात वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज होने से उक्त प्रतिवादीगण वादीगण को वादग्रस्त कृषि आराजियात में निहित वादीगण के संयुक्त 1/3 हक हिस्से को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बह, बक्षीस करने पर आमादा है तथा वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित उनके हक व हिस्से की भूमि के आधिपत्य से बेदखल करने पर आमादा हैं। जिससे प्रतिवादी सं. 1 व 2 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से हमेशा–हमेशा के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि वे ना तो स्वयं ना ही अपने किसी एजेन्ट के माध्यम से वादग्रस्त कृषि भूमि को किसी अन्य शक्स को रहन, बह, बक्षीस करे न ही वादग्रस्त कृषि भूमि से ताकत के बल पर वादीगण को बेदखल करे। वाद हेतुक दिनांक 05.01.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित उसके हक व हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकी देने से तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित वादीगण के हक व हिस्से को प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं की खातेदारी में दर्ज करा लेने की सर्वप्रथम जानकारी होने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि वाद की कॉलम सं. 2 में वर्णित वादग्रस्त कृषि आराजियात में वादीगण का संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ प्रत्येक का 1/3, 1/3 बराबर–बराबर हक व हिस्सा संयुक्त रूप से निहित होने से वादीगण का संयुक्त रूप से वादग्रस्त कृषि आराजियात में 1/3 हक व हिस्सा खातेदारी में घोषित किये जाने की डिक्री प्रदान करें। वादग्रस्त कृषि आराजियात में निहित वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हक व हिस्सा वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में संयुक्त रूप स दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा के लिए हमेशा–हमेशा के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के वादग्रस्त कृषि आराजियात में निहित हक व हिस्से को न तो स्वयं न ही अपने किसी एजेन्ट के माध्यम से रहन, बह, बक्षीस एवं हस्तान्तरण करे और न ही ताकत के बल पर वादीगण को बेदखल करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री मांगीलाल बैरवा ने अधिकार पत्र व जवाब पेश किया। जवाब में अंकित किया कि वादपत्र की कॉलम सं. 1 में पारिवारिक सजरा होना व कॉलम 2 में आराजियात होना स्वीकार है। वादपत्र [illegible] सं. 3 में लिखित तथ्य अस्वीकार है। मृतक रामा पिता रोड़ा की मृत्यु होने पर उनकी प[illegible] प्रतिवादी संख्या एक हीरालाल को बंधाई गई तथा रामा व उसकी पत्नी दोली का [illegible] हीरालाल व हेमराज दोनों भाईयों ने मिलकर किया, वादीगण के [illegible] को भी जब रामा [illegible] रोड़ा की मृत्यु हुई। सामूहिक रूप से मौसर व समस्त कार्यक्रम करने हेतु [illegible] उदयराम ने सामाजिक कार्यक्रम सामूहिक रूप से करने से साफ मना कर दिया। [illegible] की समस्त खर्चा जिसमें मौसर, गंगाजी जाना, गंगोज करना समस्त खर्चा हीरालाल व हेमराज ने मिलकर किया तथा समाज के पंचो के द्वारा मृतक रामा पिता रोड़ा की पगडी, प्रतिवादी संख्या एक हीरालाल को बंधाई गई, इस कारण से जरिये नामान्तरण संख्या 332 दिनांक 30.05.1989 को रामा व दोली का नामान्तरण 1/2, 1/2 बराबर हक व हिस्से के अनुसार प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज हुआ इस कारणसे वादगत आराजियात में वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gehlot
Date: 2025.03.18 17:21:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

का कोई हक एवं अधिकार नहीं है। वादपत्र की कॉलम 4 में आराजियात होना स्वीकार है। वादपत्र की कॉलम 5 में लिखित तथ्य अस्वीकार है तथा मृतक रामा पिता रोड़ा की मृत्यु होने पर उनकी पगडी प्रतिवादी संख्या एक हीरालाल को बंधाई गई तथा रामा व उसकी पत्नी दोली का सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार मौसर भी हीरालाल व हेमराज दोनों भाईयों ने मिलकर के किया वादीगण के पिता को भी जब रामा पिता रोडा की मृत्यु हुई सामूहिक रूप से मौसर व समस्त कार्यक्रम करने हेतु कहा लेकिन वादीगण के पिता उदयराम ने सामाजिक कार्यक्रम सामूहिक रूप से करने से साफ मना कर दिया। रामा व दोली की मृत्यु का समस्त खर्चा जिसमें मौसर, गंगजी जाना गंगोज करना समस्त खर्चा हीरालाल व हेमराज ने मिलकर किया तथा समाज के पंचों के द्वारा मृतक रामा पिता रोडा की पगडी प्रतिवादी संख्या एक हीरालाल को बंधाई गई, इस कारण से जरिये नामांतरण सं. 332 दिनांक 30.05.1989 को रामा व दोली का नामान्तरण 1/2, 1/2 बराबर हक व हिस्से के अनुसार प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज हुआ इस कारण से वादगत आराजियात में वादीगण का कोई हक एवं अधिकार नहीं हैं। वादपत्र की कॉलम सं. 6 में लिखित तथ्य अस्वीकार है मृतक रामा पिता रोडा के हक एवं हिस्से की आराजियात में वादीगण का कोई हक एवं हिस्सा नहीं है मृतक रामा पिता रोडा व रामा की पत्नी दोली की मृत्यु होने पर सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार मौसर व गंगाजी जाना, गंगोज करने का समस्त खर्चा प्रतिवादी संख्या एक व दो के द्वारा वहन किया गया तथा समाज के पंचो के द्वारा मृतक रामा पिता रोड़ा की पगडी प्रतिवादी संख्या एक हीरालाल को बंधाई गई, प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पिता उदयराम को मृतक रामा व उसकी पत्नी दोली की मृत्यु होने पर समस्त सामाजिक कार्यक्रम संयुक्त व शामिल रूप से करने हेतु कहा लेकिन वादीगण के पिता उदयराम ने मृतक रामा व दोली की मृत्यु की सामाजिक कार्यक्रम मौसर गंगोज आदि में शामिल व शरीक रहने से मना कर दिया, इस कारण से विधि अनुसार मृतक रामा व दोली की मृत्यु का नामांतरण प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज किया गया इस कारण से वादीगण का वादगत आराजियात में कोई हक एवं हिस्सा नहीं है तथा वादगत आराजियात पर कब्जा प्रतिवादीगण का ही चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी कब्जा प्रतिवादीगण का ही है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा बोई गई फसल खडी है इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पक्षवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी नहीं फरमाई जा सकती है। वादपत्र की कॉलम 7 में लिखित तथय अस्वीकार है दिनांक 05.01.2019 को वाद हेतुक पैदा नहीं हुआ प्रतिवादीगण वादगत आराजियात पर शांतिपूर्वक काबिज होकर के काश्त कर रहे हैं, कॉलम 8 से 11 अस्वीकार है। जवाबदावे की पुष्टि में प्रतिवादी का शपथ पत्र पेश है, कॉलम 13 स्वीकार है, अतः जवाबदावा स्वीकार कर वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली पर दिनांक 13.09.20224 को तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। तनकीयात कायम की गई जो निम्न प्रकार है :

1. आया वाद पत्र की कॉलम सं. 4 में वर्णित आ.सं. 355, 356, 886, 888, 889, 890 किता 6 रकबा 3.60 है. के गलत खोले गये ना.सं. 332 दिनांक 30.05.1989 को निरस्त करा वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ प्रत्येक का 1/3, 1/3 बराबर हक व हिस्सा खातेदारी में दर्ज कराने क वादीगण अधिकारी हैं।
   जिम्मे वादी
2. जरिये ना.सं. 332 दिनांक 30.05.1989 को रामा व दोली का नामांतरण 1/2, 1/2 बराबर हक हिस्से के अनुसार प्रतिवादीगण के खातेदारी दर्ज हुआ, जिसे दुरूस्त कराने के अधिकारी हैं। ।
   जिम्मे प्रतिवादी
3. दादरसी

वकील वादी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बहस में अंकित किया कि वादी की ओर से एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 बाबत खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिकी हेतु दिनांक 10.0[illegible] को पेश किया गया जिसमें वादपत्र की कॉलम सं. 1 में वादी द्वारा पारिवारिक सजरा बताया गया है तथा वादपत्र की कॉलम सं. 2 में साबिक आराजी ग्राम जोयड़ा तहसील भूपालसागर में सम्वत 2030 से 2033 की स्व[illegible]माजी की खातेदारी की साबिक आ.सं. 233/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा 233/2 रकबा [illegible] बिस्वा, आ.सं. 456 रकबा 2 बीघा, आ.सं. 452 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा कुल किता [illegible] बीघा 6 बिस्वा होना बताया है जिसके हाल आ.सं. 355, 356, 886, 888, 889, 890 कुल किता 6 रकबा 3.60 है. होना बताया जो आराजियात वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के खातेदारी की है तथा वादगत आराजियात पर कब्जा भी प्रतिवादीगण का ही है तथा वर्तमान में गेहूं तथा सरसों की फसल खडी है। वादीगण के द्वारा वादपत्र की कॉलम सं. 1 मे बताए गये पारिवारिक सजरे अनुसार मूल पुरूष भग्गा जी थे तथा भग्गा जी के तलोक जी तथा तलोक का पुत्र नन्दा तथा नन्दा के उत्तराधिकारी भेरा, चतरभुज, गोदा, किसना तथा गोदा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:21:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

उत्तराधिकारी कन्ना तथा भेरा थे, कन्ना का उत्तराधिकारी उदेराम और उदेराम के उत्तराधिकारी वादीगण हैं एवं 1/2 हिस्सा उदा, उदा के उत्तराधिकारी गोकल जी तथा गोकल के उत्तराधिकारी, भेरा, रोडा, वरदा तथा रोडा के उत्तराधिकारी रामा, तथा रामा के उत्तराधिकारी प्रतिवादी सं. 1 व 2 हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 24.05.2022 को जवाबदावा पेश किया गया जिसमें जवाब दावे की कालम सं. 2 में स्पष्ट रूप से निवेदन किया कि रामा पिता रोडा की म्यु होने पर रामाजी की पगडी प्रतिवादी सं. 1 हीरालाल को पहनाई गई तथा रामा की पत्नी दोली की मृत्यु होने पर समस्त सामाजिक कार्यकम हीरालाल व हेमराज दोनों भाईयों ने मिलकर किया तथा रामा के सामाजिक कार्यक्रम में वादीगण का पिता उदयराम शामिल व शरीक भी नहीं हुआ गंगा माता के गंगोज समस्त कार्यकम प्रतिवादीगण द्वारा किये गये रामा पिता रोडा की पगडी भी हीरालाल को बंधाई गई इस कारण से जरिये नामान्तरण 1/2, 1/2 के अनुसार प्रतिवादी के खातेदारी में दर्ज किया गया इस प्रकार मृतक रामा के उत्तराधिकारी प्रतिवादी सं. 1 व 2 है तथा मृतक कन्ना के उत्तराधिकारी उदयराम तथा उदयराम के बाद वादीगण हैं। प्रतिवादीगण के नाम जरिये नामान्तरण सं. 332 दिनांक 30.05.1989 को बतौर रामा व दोली के उत्तराधिकारी के रूप में खोला गया तथा आज दिन तक प्रतिवादीगण वादगत आराजियात पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं इसलिए वादी का वादपत्र मयाद बाहर है। न्यायालय के द्वारा उक्त वादपत्र की तनकी बनाई जिसको साबित करने का भार वादीगण का है, जिसको वादीगण के द्वारा साबित नहीं कराया है तथा तनकी नं. 2 प्रतिवादीगण के जिम्मे है जिसको प्रतिवादीगण द्वारा साबित कराया गया है। अब न्यायालय के द्वारा यह देखना पडेगा की वादीगण का पिता उदयराम किसका उत्तराधिकारी है क्योंकि जब कन्ना पिता गोदा की मृत्यु होने पर उसकी समस्त आराजियात उदयराम के खातेदारी में दर्ज हुई जिसके खाता सं. 6, 14, 15, 8, 7 हैं तथा उक्त समस्त दस्तावेज उक्त वादपत्र में प्रतिवादी द्वारा पेश किये गये तथा प्रदर्श कराये गये अब न्यायालय को दखना यह पडेगा की क्या उदयराम कन्ना का उत्तराधिकारी है या अथवा रामा का,क्योंकि एक बेटे के दो बाप नहीं हो सकते हैं जब वादीगण कन्ना के उत्तराधिकारी हैं तो मृतक रामा व दोली के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हैं इसलिए हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) के अनुसार वादीगण मृतक रामा व दोली के उत्तराधिकारी नहीं हैं। इस कारण से रामा व दोली के सम्पत्ति में वीगण का हक एवं हिस्सा नहीं है तथा उक्त सम्पत्ति 35 वर्ष पूर्व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है, इस प्रकार टाइटल व पजेशन दोनों ही प्रतिवादी सं. 1 व 2 का है इस कारण से जब तक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत सक्षम न्यायालय से मृतक रामा व दोली के उत्तराधिकारी व कन्ना के उत्तराधिकारी का निर्णय नहीं हो जाता है तथा सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक राजस्व न्यायालय को उत्तराधिकारी घोषित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने गवाहों के माध्यम से भी वादीगण वादगत आराजियात पर काबिज नहीं है तथा मृतक रामा व दोली के उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए खातेदार अधिकार की घोषणात्मक डिकी पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी नहीं की जा सकती है। यह कि पी डब्ल्यू 1 भग्गु बेवा उदयराम के बयानो को परीक्षण करे तो इस गवाह ने अपने जिरह के बयानो में साफ कहा कि उदयराम जी मेरे पति है उनकी मृत्यु हुऐ करीब 6 वर्ष हो गये हैं उदयराम के पिता का नाम कन्नीराम है तथा कन्नीराम के पिता का नाम गोदा है आगे गवाह ने अपने शपथ पत्र में क्या लिखा उसकी ताईद भी नहीं की गई पी डब्ल्यू 2 शम्भूलाल ने भी अपने जिरह के बयानो में साफ साफ कहा कि शपथ पत्र में क्या लिखा है मुझे याद नहीं इस प्रकार पी डब्ल्यू 3 ने भी अपने जिरह के बयानों में शपथ पत्र व दावे की ताईद नहीं की है जबकि पी डब्ल्यू 1, पी डब्लयू 2, पी डब्ल्यू 3 ने अपने बयानों से साबित कराया कि वादीगण कन्ना के उत्तराधिकारी हैं। वादी को अपने वादपत्र को बखूमी प्रमाणित कराने का भार वादीगण पर है तथा किसी भी तरीके से साबित नहीं कराया है। वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अवधि गुजर जाने के काफी समय बाद पेश किया गया है तथा वादपत्र लिमिटेशन एक्ट से बाधित है तथा चलने योग्य नहीं है। वादी हिस्सा हक मांगने के अधिकारी नहीं है क्योकि वादीगण उक्त वादगत आराजियात के सहखातेदार नहीं [illegible] ना है कि प्रतिवादी की लिखित बहस स्वीकार फरमाई जाकर वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाब दिनांक 12.05.2022 को पेश कर अपने जवाब में अंकित किया कि प्रकरण में वादीगणों द्वारा ग्राम जोयडा में स्थित हाल खातेदारी कृषि भूमि आ.सं. 355, 356, 886, 888, 889, 890 किता 6 रकबा 3.60 है. जो साबिक रिकार्ड में रामा पिता रोडा गाडरी के [illegible] होना बताया गया तथा रामा की मृत्यु के बाद भूमि सन्तान नहीं होने से पत्नी दोली के नाम दर्ज हो गई। दोली बेवा रामा के लाऔलाद फौत होने पर उक्त भूमि विरासत से हीरालाल, हेमराज पिता रामा के नाम दर्ज हुई। प्रकरण में वादीगणों को कथन है कि रामा व उनकी पत्नी दोली के कोई जाईन्दा संतान नही थी तथा विरासत से हीरालाल, हेमराज पिता रामा के नाम नामान्तरण हुआ वह सही नहीं है। हीरालाल, हेमराज पिता रामा नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:21:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसा

होकर कन्ना है तथ कन्ना के हीरालाल, हेमराज के अलावा एक पुत्र उदयलाल उर्फ उदयराम पिता कन्ना भी था जिसके वादीगण वारिसानहै का नाम उक्त आराजी में छोड दिया है जो लगाया जावे। मौके पर तीनों का बराबर बराबर हक/कब्जा हो कर काश्त की जा रही है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण वादग्रस्त आराजी में हीरालाल, हेमराज पिता रामा के साथ 1/3 हिस्से में अपना नाम जुडवाना चाहते हैं जो स्वयं सिद्ध करावें। प्रकरण में राज्य पक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है, राज्यपक्ष प्रभावित नहीं होने से सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। वादी द्वारा वादपत्र में चाही गई दाद स्वयं सिद्ध करावें।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नामान्तरण सं. 28 प्रदर्श 1 दि. 26.06.2000, नामान्तरण सं. 332 दि. 30.05.89 प्रदर्श 2, जमाबंदी 2071–74 प्रदर्श 3, नक्शा ट्रेस दिनांक 29.08.18 प्रदर्श 4, जमाबंदी सम्वत 2071–74 प्रदर्श 5 व मिलान खसरा प्रदर्श 6 से 8, जमाबंदी सम्वत 2050–53 प्रदर्श 9, जमाबंदी सम्वर्त 2034–40 प्रदर्श 10 पेश किये गये एवं मौखिक साक्ष्य में भग्गूबाई पीडब्ल्यू 1, शम्भूलाल पीडब्ल्यू 2, शंकर गाडरी पीडब्ल्यू 3 एवं निर्मल दास बैरागी पी डब्ल्यू 4 के बयान लेखबद्ध कराये। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य प्रतिवादी में हीरालाल डी. डब्ल्यू. 1, हेमराज डी.डब्ल्यू.2, उदयराम डी.डब्ल्यू 3 के बयान लेखबद्ध कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबंदी 2067–70 प्रदर्श 1, खाता सं. 7 सम्वत 2067–70 प्रदर्श 2, खाता सं. 6 सम्वत 2067–70 प्रदर्श 3, खाता सं. 14 सम्वत 2067–70 प्रदर्श 4, खाता सं. 15 सम्वत 2067–70 चालू जमाबंदी प्रदर्श 5, खाता सं. 238 सम्वत 2067–70 प्रदर्श 6, मिलान शीट प्रदर्श 7, साबिक जमाबंदी सम्वत 2016–19 प्रदर्श 8, साबिक जमाबंदी सम्वत 2026–29 प्रदर्श 9, साबिक जमाबंदी सम्वत 2026–29 प्रदर्श 10 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 11 पेश किये। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी व जिरह दिनांक 03.12.2024 को बंद की गई।

वकील प्रतिवादी ने आदेश 14 नियम 5 का प्रार्थना पत्र पेश, जिसका जवाब वकील वादी ने दिनांक 25.06.24 को पेश किया, पर बहस उभयपक्ष सुनी जाकर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा दिनांक 12.11.24 को आदेश 7 नियम 14 का प्रार्थना पत्र पेश किया, वकील वादी के निवेदन अनुसार प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी जाकर दिनांक 19.11.24 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 स्वीकार किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषकों के तर्क वितर्क पर मनन किया। प्रकरण में कायम तनकीयात उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के आधार पर निम्न प्रकार से निर्णित किये जाते है :–

तनकी नं. 1 – उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी ने उक्त तनकी को साबित कराने के लिये दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श एक से लगायत 11 तक दस्तावेज, जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल आदि प्रस्तुत किये हैं। इस प्रकार वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का किसी प्रकार कोई खण्ड्न नहीं हुआ है। जिससे उक्त तनकी वादी साबित कराने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। अतः उक्त तनकी संख्या एक बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 2 – इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे था परन्तु प्रतिवादीगण ने उक्त तनकी को साबित कराने के लिये कोई पुष्ट आधार प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार तनकी किसी प्रकार से साबित नहीं कराने से उक्त तनकी खिलाफ प्रतिवादी बहक वादी निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:21:54 IST
Reason: SelfAttested

3– दादरसी –

वादीगण अपने जिम्मे की तनकी सं. 1 को साबित करने में सफल रहा जबकि प्रतिवादीगण अपने जिम्मे की तनकी संख्या 2 को साबित कराने में असफल रहे है। इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होने से प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों एवं पैरोकार सरकार के जवाब का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा वाद के संलग्न दस्तावेजों से वादर्णित आराजियात, वादीगण के शपथ–पत्र, उक्त

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र व वकील उभय की बहस के आधार पर वादीगण का वाद अंतर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम जोयड़ा की आ.सं. 233/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, आ.सं. 233/2 रकबा 1 बीघा, आ.सं. 234 रकबा 17 बिस्वा, आ.सं. 452 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा, आ.सं. 456 रकबा 2 बीघा कुल 5 रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ प्रत्येक का 1/3, 1/3 बराबर–बराबर हक व हिस्सा संयुक्त रूप से निहित होने से वादीगण को संयुक्त रूप से 1/3 हक व हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर, भूपालसागर
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:21:54 IST
Reason: SelfAttested